

न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील संख्या 18/23

सन् 2023

GCMS NO-2023/156

बउनवानी:- 1. कमलेश पुत्र राधेश्याम शर्मा निवासी कवंरपुरा तह0 चौथ का बरवाडा

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार चौथ का बरवाडा
(अपील विरुद्ध तहसीलदार चौथ का बरवाडा की मिसल संख्या 15/2023 निर्णय दिनांक
16.10.2023 अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थित :- 1. श्री अजयशेखर

वकील अपीलान्त

2. श्री विनोद कुमार शर्मा

नायब तहसीलदार.(पैरोकार)

-: निर्णय :-

दिनांक 08.05.2024

अपीलान्त द्वारा तहसीलदार चौथ का बरवाडा की मिसल संख्या 15/2023 में पारित निर्णय दिनांक 16.10.2023 जिसके द्वारा अपीलान्त को पश्चातवर्ती अतिक्रमण का दोषी पाये जाने पर अपीलान्त के विरुद्ध शास्ती आरोपित कर मौके से बेदखल किया जाकर 60 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है जिसके विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर की जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया एवं विपक्षी की भी सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी।

अदालत मातहत से प्राप्त अभिलेख के अनुसार मामलों में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि सम्बन्धित 2080 (खरीफ) में वांके ग्राम कवंरपुरा तहसील चौथ का बरवाडा की भूमि आराजी ख0न0 5424 रकबा 0.15 है0, ख0न0 544 रकबा 0.20 है0, ख0न0 545 रकबा 0.05 है0, ख0न0 551 रकबा 0.10 है0, ख0न0 552 रकबा 0.11 है0 पर बाजरा की फसल काश्त कर अतिक्रमण करने के आशय की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा तहसीलदार चौथ का बरवाडा के समक्ष प्रस्तुत की गयी एवं खाना कैफियत में अपीलान्त का पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना अंकित किया है। रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अदालत मातहत ने अपीलान्त को सुनवायी व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर देते हुये तलबी जरिये नोटिस की गयी, विवादित भूमि पर अपीलान्त का अतिक्रमण होने बाबत अंकित तथ्यों की जांच के तहत अदालत मातहत द्वारा पटवारी हल्का के लिये गये बयान के आधार पर अपीलान्त का अतिक्रमण होना साबित होने की स्थिति में बाद जांच आदेश जैर अपील पारित किया है। जिससे आहत होकर अपीलान्त द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है।

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्त ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुये बहस में तर्क दिया कि अदालत मातहत ने आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व विधिवत रूप से सुनवायी व सबूत साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नहीं दिया है एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमण के सम्बन्ध में मौका निरीक्षण कर सम्यक जांच नहीं की गयी एवं पटवार हल्का द्वारा रंजिशवश प्रस्तुत गलत व झूठी रिपोर्ट के आधार पर ही आदेश जैर अपील पारित कर दिया गया। यह कथन भी किया कि अदालत मातहत ने आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्त को नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्तों के तहत विधिवत नोटिस जारी कर सुनवायी का समुचित अवसर भी प्रदान नहीं किया गया एवं बिना सुने ही न्यायिक सिद्धान्तों के विरुद्ध जाकर अपीलान्त के खिलाफ इकतरफा में आदेश जैर अपील पारित कर दिया गया जिसके कारण अपीलान्त अपनी प्रतिरक्षा करने के अधिकार से महरूम हो गया। अपीलान्त का उक्त ख0न0 542,544,545,551,552 लगभग 20 वर्ष पुराना कब्जा अपने पिता स्व0 श्री राधेश्याम के समय से चला आ रहा है इसलिए उक्त भूमि को अपीलान्त के पक्ष में नियमन/आवंटन किया जाना चाहिए। यह तर्क भी दिया कि उक्त भूमि पर अपीलान्त का पुराना कब्जा काश्त है किन्तु पूर्व में किसी निर्णय के क्रियान्वयन में मौके से भौतिक रूप से बेदखल नहीं किया गया है इसलिए पश्चातवर्ती अतिक्रमण नहीं माना जा सकता है। पटवारी के बयान एवं मौका रिपोर्ट भी हस्तलिखित नहीं है एक छपे छपाये प्रारूप पर तैयार किये गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय को आवंटन नियम, 1970 की धारा 19 के तहत प्रार्थी भूमिहीन व्यक्ति होने एवं प्रार्थी का पुराना कब्जा होने के कारण उक्त भूमि नियमन/आवंटन करने की कार्यवाही करनी चाहिए थी। अतः आदेश जैर अपील खारिज फरमाया जाकर अपीलान्त स्वीकार फरमाये जाने बाबत निवेदन किया है।

.....(1).....

(डॉ. सुरेश चन्द्र)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर


(अपील संख्या 18/2023 उनवानी कमलेश बनाम सरकार)

पैरोकार राजस्व ने जवाब बहस में कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत किये गये तथ्यों की पुष्टि में अपीलान्ट ने कोई विधिक साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया है। अपीलान्ट की सुनवायी का जहाँ तक प्रश्न है तो पत्रावली में विपक्षी को सुनवायी हेतु जारी नोटिस की तामील प्रति की और ध्यान आकर्षित कर कथन किया गया जिस पर सी.पी.सी. प्रावधानों के तहत अपीलान्ट के नोटिस की अपीलान्ट के भाई से करवायी गई तामील से हो जाती है, किन्तु नोटिस की पालना में अपीलान्ट अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ है। नोटिस की तामील से अपीलान्ट को सुनवायी का अवसर दिये जाने से सम्बन्धित तथ्यों की स्वतः पुष्टि हो जाती है। यह तर्क भी दिया कि, स्वयं अपीलान्ट द्वारा विवादित भूमि ख0न0 5424 रकबा 0.15 है0, ख0न0 544 रकबा 0.20 है0, ख0न0 545 रकबा 0.05 है0, ख0न0 551 रकबा 0.10 है0, ख0न0 552 रकबा 0.11 है0 पर काफी पुराना कब्जा काश्त होने बाबत कथन किया है तथा पटवारी रिपोर्ट दिनांक 19.01.2024 के अनुसार ख0न0 604 कुल रकबा 0.50 है0 पर अपीलान्ट द्वारा वर्तमान में सरसों की फसल काश्त कर अतिक्रमण कर रखा है। प्रस्तुत पी-14 के अनुसार मात्र ख0न0 542 पर ही वर्ष 2004-05, 2008-09, 2012, 2015-16, 2014-15 तक अपीलान्ट के पिता राधेश्याम का कब्जा पाया गया है विगत 10 वर्षों से उक्त भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा रहा हो ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेज पेश नहीं किया है इस प्रकार उक्त भूमि पर अपीलान्ट को नियमित कब्जा काश्त नहीं रहा है इसलिए नियमन नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज कर आदेश जैर अपील यथावत रखने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुनने के पश्चात् सम्बन्धित अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत सुनवायी व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नहीं दिया गया है जिसकी पुष्टि अपीलान्ट की तलवी हेतु जारी नोटिस की अपीलान्ट के भाई से करवायी गयी तामील से होती है क्योंकि नोटिस की तामील रिपोर्ट पर भाई का नाम स्पष्ट अंकित नहीं है। इसलिए उक्त तामील प्रोपर तामील की श्रेणी में नहीं आती है। जहाँ तक अपीलान्ट के पश्चात्वर्ति अतिक्रमण होने का प्रश्न है इसकी पुष्टि भी पत्रावली पर उपलब्ध विधिक साक्ष्य यथा पटवार हल्का के लिये गये बयान जो कि छपे हुए प्रारूप पर लिये गये के आधार अथवा प्रार्थी के कथन के आधार पर नहीं की जा सकती है, क्योंकि पत्रावली पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमण से संबंधित कोई दस्तावेज संलग्न नहीं है जहाँ तक उक्त भूमि पर अपीलान्ट का पुराना कब्जा होने के कारण रेगुलाईज करने का प्रश्न है तो अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत पी-14 के अनुसार मात्र ख0न0 542 पर ही वर्ष 2004-05, 2008-09, 2012, 2015-16, 2014-15 तक अपीलान्ट के पिता राधेश्याम का कब्जा अंकित है विगत 10 वर्षों से उक्त भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा रहा हो ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेज पेश नहीं किया है अपीलान्ट द्वारा इसके अतिरिक्त अपीलान्ट को उक्त भूमि पर से पूर्व में बेदखल किये जाने व फसल कुर्की इत्यादि से संबंधित कोई दस्तावेज पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। उपरोक्त विवेचन से यह पाया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवायी व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नहीं दिया है और ना ही पत्रावली में सम्पूर्ण दस्तावेज हमफ्रीता किये गये है। ऐसी स्थिति में प्रकरण तहसीलदार चौथ का बरवाडा को पुनः सुनवायी हेतु भिजवाया जाना उचित समझता हूँ।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर आदेश जैर अपील सजा की सीमा तक निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार चौथ का बरवाडा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि अपीलान्ट को सुनवायी व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाकर पत्रावली पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमण, बेदखली, फसल कुर्की, पूर्व में पारित निर्णय, पटवारी बयान इत्यादि दस्तावेजों को रिकार्ड पर लिया जाकर प्रदर्श करते हुए पुनः गुणावगुण के आधार पर विधिवत निर्णय पारित करे। एवं यदि प्रकरण नियमन योग्य बनता है तो इसके लिए अपीलान्ट पृथक से कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है। अपीलान्ट 15 दिवस के अन्दर अपना पक्ष रखने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होवे। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 8.5.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(डॉ० खुशाल यादव)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर